राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3659–दो / 13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्र० क्र० /2013/पुनरावलोकन - इन्दौर
रिव्यू 3659 II/13

दिनांक 5-10-13 को श्री ओ० पी० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।
5-10-13
A-50
O. P. Sharma Adv
05-10-2013

1-मान सिह पुत्र दयाराम

2- ईश्वर पुत्र दयाराम

3- हीरालाल पुत्र दयाराम

4- रामकन्याबाई बेवा दयाराम

समस्त निवासीगण - अरोदाकोठ

तहसील देपालपुर जिला इन्दौर म0प्र0

....प्रार्थीगण

बनाम

1- सुशीला बाई पत्नी मनीराम निवासी

ग्राम सीतापट तहसील महू

2- सौरभ बाई पत्नी सुभाषचौधनी

निवासी -राम मंदिर के पास ग्राम

हातोद तहसील हातोद

3- लालूबाई पत्नी श्री दयाराम चौधरी

निवासी ग्राम सायदा तहसील सावेर

जिला-इन्दौर म0प्र0

...प्रतिप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध न्यायालय माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक आर-3317/पीव्हीआर/2012 पारित निर्णय दिनांक 2.4.2013 अन्तर्गत धारा 51 रे. को.